

File No.II/(3)/2022-ESTT-O/o COMMR-CGST-DAMAN



भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
राजस्व विभाग,
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा
शुल्क बोर्ड
Government of India
Ministry of Finance, Department
of Revenue
Central Board of Indirect Taxes
and Customs



राज्यमेव ज

आयुक्तकाकार्यालय
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, दमण आयुक्तालय
Office of the Commissioner
Central G.S.T., Daman Commissionerate
वस्तु एवं सेवा कर भवन, आर.सी.पी.कम्पाउंड, वापी-
३९६१९९
G.S.T. Bhavan, RCP Compound, Vapi-396191

commr-cexdaman@nic.in Ph: 0260-2460305

Fax: 0260-2460484

स्थापना आदेश सं.: 06/2022
वापी, दिनांक: 20.01.2022
ESTABLISHMENT ORDER NO. 06/2022
VAPI, DATED: 20.01.2022

विषय: वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण आयुक्तालय के निरीक्षक के ग्रेड में स्थानांतरण और पोस्टिंग हेतु।

Subject: - Transfer and Posting in the grade of Inspector in the CGST & CE, Daman Commissionerate, Daman- matter/regarding.

स्थापना आदेश सं. 115/2021 दिनांक 15.12.2021 फा.सं. II/03-17/सीसीओ/2021 जोकि संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.), वडोदरा जोन, वडोदरा द्वारा जारी किया गया है, के अनुसरण में वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण आयुक्तालय के निरीक्षक के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण / पोस्टिंग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक के लिए आदेश दिया गया है जोकि निम्नलिखित है:-

In pursuance of Establishment Order No. 115/2021 dated 15.12.2021 issued vide F. No. II/03-17/CCO/2021 by the Joint Commissioner (CCO), Vadodara Zone, Vadodara, the following postings in the grade of Inspector of CGST & CE, Daman Commissionerate is hereby ordered with immediate effect and until further orders:-

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री)	तैनाती की वर्तमान जगह			तैनाती की नई जगह	
		मुख्यालय / मण्डल	अनुभाग / मं.का. / रेंज	अतिरिक्त प्रभार	अनुभाग / मं.का. / रेंज	अतिरिक्त प्रभार
1.	Divya Nakra	Div-IX	D.O.(S)	Range-V	D.O.(S)	---
2.	Viras Kumar	Div-IX	New appointment		Range-V	---

2. मण्डलीय उप/सहायक आयुक्त अपने विवेक के अनुसार, क्षेत्राधिकारी अपर आयुक्त को सूचना के तहत मण्डल कार्यालय का प्रभार आवंटित कर सकते हैं।

2. The Divisional Deputy/Assistant Commissioner may allot charges of Division Office as per their discretion under intimation to the jurisdictional Additional Commissioner.

3. यह आदेश आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

3. This issues with the approval of the Commissioner, CGST & CE, Daman.

File No.II/(3)/2/2022-ESTT-O/o COMMR-CGST-DAMAN

Digitally Signed by Sushant
Ramesh Patil

Date: 20-01-2022 16:23:54

Reason: Approved
(डा. सुशांत आर. पाटील)
(Dr. Sushant R. Patil)

उपायुक्त (का.व.स.)

Deputy Commissioner (P&V)

वस्तु एवं सेवाकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण
CGST & CE, Daman.

वापी, दिनांक: 20.01.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.), वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क वडोदरा ज़ोन, वडोदरा.
2. आयुक्त के निजी सहायक, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
3. अपर आयुक्त (निवारक), वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
4. सभी उप/सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दमण.
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी / मुख्य लेखा अधिकारी, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दमण.
6. सभी अनुभाग अधिकारी, वस्तु एवं सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दमण.
7. अधीक्षक, सिस्टम विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने के अनुरोध के साथ.
8. सम्बन्धित व्यक्ति/ गार्ड फाईल.